न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

(पीठासीन न्यायाधीश–व्ही0पी0 सिंह)

S.T.N0.	**41/2020**
Filing NO.	**695/2020**
CNR NO.	**MP18010008162020**
Filing Date	**25-02-2020**

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जी0आर0पी0 शहडोल जिला शहडोल (म0प्र0)

––––––––––––––––––––**अभियोजन**

विरूद्ध

अमरदीप मण्डल पिता श्री सुशील मण्डल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कुसमाल थाना राजनगर मधुबनी बिहार

––––––––––––––––––––**अभियुक्त**

––

यह सत्र प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 04/20 म0प्र0शासन बनाम अमरदीप मण्डल में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 19.02.2020 से उत्पन्न।

––

अभियोजन द्वारा – श्रीमती कविता कैथवास ए0डी0पी0ओ0।

अभियुक्त द्वारा – श्री रामशंकर तिवारी अधिवक्ता।

––

नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 238–ए के तहत सूची

अपराध की तारीख	23–11–2019
प्र0सू0रि0 की तारीख	25–11–2019
आरोपी–पत्र की तारीख	06–01–2020
आरोपों की विरचना की तारीख	14–03–2020
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	16–03–2020
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	14–02–2023
निर्णय की तारीख	20–02–2023

दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
––	अमरदीप मण्डल	25.11.19	–	302, भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	निर्णय अनुसार	दिनांक 25.11.19 से निर्णय दिनांक 20.02.23 तक की अभिरक्षा अवधि।

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

<u>{क} अभियोजन –</u>

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
गवाह नंबर–1	अरविन्द सिंह परिहार	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–2	आकाश गुप्ता	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–3	मुरारी नायक	अनुसंधान, पंचनामा एवं मर्ग साक्षी
गवाह नंबर–4	सुनील कुमार शर्मा	पुलिस साक्षी
गवाह नंबर–5	शिवा सिंह	गिरफ्तारी साक्षी
गवाह नंबर–6	लल्लू पाण्डेय	पुलिस, जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–7	कान्हा द्विवेदी	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–8	आशीष आर्य	पुलिस, जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–9	गोरे सिंह	गिरफ्तारी साक्षी
गवाह नंबर–10	एस0 खान	पुलिस साक्षी
गवाह नंबर–11	अरविन्द सेन	पुलिस साक्षी
गवाह नंबर–12	सरमन प्रसाद	जप्ती एवं पी0एम0 कराने वाला साक्षी
गवाह नंबर–13	रामलोटन लोनी	पुलिस, जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–14	नीतेश सिंह	अनुसंधान साक्षी

गवाह नंबर–15	नीरज कुमार श्रीवास्तव	रेल विभाग का साक्षी
गवाह नंबर–16	श्रीमती सारिका शर्मा	विवेचक साक्षी
गवाह नंबर–17	विमलेश कुमार दुबे	जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–18	गिरधारी नायक	अनुसंधान एवं पंचनामा साक्षी
गवाह नंबर–19	डॉ0 श्री वरूण विश्वास	पी0एम0 करने वाले साक्षी
गवाह नंबर–20	शंकर सहाय त्रिपाठी	एफ.एस.एल. सागर में माल जमा करने वाला साक्षी
गवाह नंबर–21	एल0पी0 कश्यप	विवेचक साक्षी

{ख} प्रतिरक्षा –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
––निल––	––निल––	––निल––

{ग} न्यायालयीन साक्षी –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
––निल––	––निल––	––निल––

{क} अभियोजन प्रदर्शों की सूची –

सं.क्रं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्र0पी0–1	शिनाख्तगी पंचनामा
2	प्र0पी0–2	शिनाख्तगी पंचनामा
3	प्र0पी0–3	नक्शा पंचायतनामा
4	प्र0पी0–4	धारा 175 दं0प्र0सं0 की नोटिस
5	प्र0पी0–5	मर्ग इंटीमेशन
6	प्र0पी0–6	अपराध विवरण फार्म
7	प्र0पी0–7	संपत्ति जप्ती पत्रक
8	प्र0पी0–8	गिरफ्तारी पत्रक
9	प्र0पी0–9	संपत्ति जप्ती पत्रक
10	प्र0पी0–10	संपत्ति जप्ती पत्रक
11	प्र0पी0–11	संपत्ति जप्ती पत्रक
12	प्र0पी0–12	नक्शा मौका तैयार करने के लिए दिया गया आवेदन
13	प्र0पी0–13	शव सुपुर्दगी रसीद
14	प्र0पी0–14	कर्तव्य प्रमाण पत्र

15	प्र0पी0–15	थाना प्रभारी उमरिया को प्रेषित सूचना
16	प्र0पी0–16	शव परीक्षण के लिए आवेदन
17	प्र0पी0–17	नजरी नक्शा
18	प्र0पी0–18	शव परीक्षण रिपोर्ट
19	प्र0पी0–19	सागर में माल जमा करने की पावती
20	प्र0पी0–20	कर्तव्य प्रमाण पत्र
21	प्र0पी0–21	अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण
22	प्र0पी0–22	प्रथम सूचना रिपोर्ट
23	प्र0पी0–23	एफ0एस0एल0 रिपोर्ट

{ख} प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1–	प्र0डी0–1	कथन साक्षी अरविन्द सिंह

{ग} न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
––निल––	––निल––	––निल––

{घ} आवश्यक वस्तुएं –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1–	आर्टिकल–ए1	मृतक की फोटो
2–	आर्टिकल–ए2	रेल टिकिट

'' नि र्ण य ''

(आज दिनांक 20.02.2023 को पारित किया गया)

01. आरोपी अमरदीप मण्डल पर आरोप है कि उसने दिनांक 23–11–2019 के समय लगभग 17.30 बजे शाम रनिंग ट्रेन कमांक 11265 जबलपुर–अंबिकापुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में उमरिया से करकेली के मध्य किमी नंबर 972/28 के पास बिहारी नायक को चलती ट्रेन से जानबूझकर साशय उसकी हत्या कारित करने के आशय से उसे धक्का देकर गिरा दिया जिससे बिहारी नायक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस प्रकार से आरोपी पर निम्नानुसार आरोप हैं –

कमांक	आरोपी का नाम/पिता का नाम	आरोपित अपराध

1	2	3
1.	अमरदीप मण्डल पिता श्री सुशील मण्डल	धारा 302 भा0दं0सं0

02. **<u>आरोपी ने निम्नलिखित तथ्यों को स्वीकार किया है</u>** :–

(क) साक्षी मुरारी नायक, आरोपी अमरदीप मण्डल को पहचानता है।

(ख) आरोपी को दिनांक 25–11–2019 को रेलवे स्टेशन शहडोल के प्लेटफार्म नंबर 1 से साक्षी गोरे सिंह एवं शिवा सिंह की उपस्थिति में गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–8 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था।

03. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि – सूचनाकर्ता मुरारी नायक ने दिनांक 24–11–2019 को रात्रि 2.21 बजे थाना उमरिया में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दिया कि अपने बड़े भाई बिहारी नायक को उसने रेल्वे स्टेशन उमरिया में जबलपुर–अंबिकापुर ट्रेन में शहडोल जाने के लिए छोड़कर आया था। शाम 6.30 बजे गिरी नायक ने उसे फोन करके बताया कि बिहारी नायक नहीं पहुंचा है और फोन भी नहीं उठा रहा है तब उसने अपने रिश्तेदारों से फोन पर पूछताछ किया तो कहीं पता नहीं चला। उसी समय रेल्वे स्टेशन उमरिया से पता चला कि एच0पी0 गैस एजेंसी के सामने रेल्वे ट्रैक के पास एक व्यक्ति 20 से 25 साल का जो कि पैंट, सफेद शर्ट एवं डार्क ब्राउन कलर की जैकेट पहने है तथा बायें पैर में सफेद मोजा पहने हुये मृत अवस्था में पड़ा हुआ है जिसकी मृत्यु हो गयी है। उक्त सूचना पर हर्षित डेविड के साथ मौके पर जाकर देखा और हुलिया पहचाना तो उसके बड़े भाई बिहारी नायक रेल्वे पटरी के बाहर मृत अवस्था में पड़े हुये थे। उक्त सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक श्री नीतेश सिंह (अ0सा0–14) द्वारा मर्ग क्रमांक 96/19 प्र0पी0–5 की मर्ग सूचना पंजीबद्ध की गयी।

04. दिनांक 24–11–2019 को कोतवाली उमरिया में पदस्थ उपनिरीक्षक श्रीमती सारिका शर्मा (अ0सा0–16) द्वारा कोतवाली उमरिया में दर्ज मर्ग क्रमांक 96/19 की जांच प्राप्त होने पर जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचकर लाश का शव पंचायतनामा तैयार करने के लिए गवाहों को प्र0पी0–4 की नोटिस दी गयी तथा मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष मृतक के शव का निरीक्षण कर प्र0पी0–3 का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतक की पहनी हुई जैकेट की तलाशी लिये जाने पर उमरिया से शहडोल जाने का रेल टिकिट आर्टिकल–ए2 मिला जिसे गवाह कान्हा द्विवेदी एवं सरमन सेन की उपस्थिति में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–10 तैयार किया गया। जहां पर मृतक का शव रखा हुआ था उसका नजरी नक्शा प्र0पी0–6 गवाहों

की उपस्थिति में तैयार किया गया। मृतक के शव का परीक्षण कराने के लिए प्र0पी0–14 का कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर प्र0पी0–16 का शव परीक्षण आवेदन पत्र भरकर उसे जिला चिकित्सालय उमरिया आरक्षक सरमन सेन के साथ भिजवाया गया। इसी दिनांक को घटना स्थल रेल्वे पटरी के किनारे करकेली और उमरिया के बीच में गैस गोदाम के सामने जाकर गवाहों की उपस्थिति में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0–17 तैयार किया गया। घटना स्थल से ही साक्षियों के समक्ष खून आलूदा मिट्टी 50 ग्राम एवं सादी मिट्टी 50 ग्राम को अलग–अलग जप्त कर सीलबंद कर प्र0पी0–7 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया। गवाह कान्हा द्विवेदी एवं मुरारी नायक का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। साक्षी सरमन प्रसाद (अ0सा0–12) द्वारा मृतक के शव परीक्षण उपरांत मृतक का शव उसके परिजनों को सुपुर्द कर प्र0पी0–13 का शव सुपुर्दगी पंचनामा तैयार किया गया।

05. डॉक्टर श्री वरूण विश्वास (अ0सा0–19) द्वारा मृतक के शव का परीक्षण कर प्र0पी0–18 की रिपोर्ट तैयार की गयी तथा यह अभिमत दिया गया कि मृत्यु का तरीका सिन्कोप है जिसमें जब शरीर में खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो आदमी धीरे–धीरे बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तथा मृतक की मृत्यु का कारण हाइकोवैल्यूमिक शॉक था जो कि अत्यधिक रक्त स्त्राव एवं आंतरिक अंगों की चोट के कारण था।

06. श्री एल0पी0 कश्यप, उपनिरीक्षक (अ0सा0–21) द्वारा दिनांक 25–11–2019 को सिटी कोतवाली उमरिया से मर्ग क्रमांक 96/19 की मर्ग सूचना प्राप्त होने पर असल मर्ग क्रमांक 44/19 प्र0पी0–21 की मर्ग सूचना पंजीबद्ध की गयी। मर्ग जांच की उपरांत तथा मृतक के भाई मुरारी नायक एवं कान्हा द्विवेदी के कथन के उपरांत आरोपी अमरदीप मण्डल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 146/19 धारा 302 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–22 पंजीबद्ध की गयी। दिनांक 25–11–2019 को सिटी कोतवाली उमरिया से आरक्षक क्रमांक 280 अरविन्द सेन व्दारा जी0आर0पी0 थाना शहडोल में लाकर मृतक बिहारी नायक की खून आलूदा मिट्टी तथा सादी मिट्टी एक प्लास्टिक के डिब्बे में तथा रेल यात्रा टिकिट तथा सिटी कोतवाली उमरिया का जप्ती पत्रक पेश करने पर उसे प्र0पी0–11 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया। आरोपी अमरदीप मण्डल को रेल्वे स्टेशन शहडोल के प्लेटफार्म नंबर 1 से साक्षी गोरे सिंह एवं शिवा सिंह की उपस्थिति में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–8 तैयार किया गया। दिनांक 29–11–2019 को साक्षी एस0 खान (अ0सा0–10) द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0–12 तैयार किया गया।

07. दिनांक 01–12–2020 को आरक्षक लल्लू पाण्डेय क्रमांक 87 व्दारा

जी0आर0पी0 थाना शहडोल में एक सीलबंद पैकेट में मृतक के बदन के खून लगे कपड़े एवं अस्पताल का सील नमूना लाकर पेश करने पर उसे प्र0पी0–9 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को पुलिस अधीक्षक के पत्र के माध्यम से एफ0एस0एल0 सागर परीक्षण हेतु प्रधान आरक्षक शंकर सहाय त्रिपाठी को प्र0पी0–20 का कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर भिजवाया गया जिसकी पावती प्र0पी0–19 है तथा एफ0एस0एल0 सागर से प्राप्त रिपोर्ट प्र0पी0–23 है।

08. अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अन्य विवेचना की पूर्ति उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान अन्तर्गत् धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शहडोल के समक्ष दिनांक 06–01–2020 को प्रस्तुत किया गया जहां से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को विधिवत् सत्र न्यायालय शहडोल को उपार्पित किया, तब यह प्रकरण विधिवत् निवर्तनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

09. आरोपी की ओर से अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया है। आरोपी परीक्षण के प्रश्न कमांक 58 के उत्तर में आरोपी ने बताया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है।

10. उपरोक्त आरोप के संबंध में मामले में निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु हैं जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित तालिका में दर्ज किये जा रहे हैं –

कं0	**विचारणीय–प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1–	क्या आरोपी ने दिनांक 23–11–2019 के समय लगभग 17.30 बजे शाम रनिंग ट्रेन कमांक 11265 जबलपुर–अंबिकापुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में उमरिया से करकेली के मध्य किमी नंबर 972/28 के पास बिहारी नायक को चलती ट्रेन से जानबूझकर साशय उसकी हत्या कारित करने के आशय से उसे धक्का देकर गिरा दिया जिससे बिहारी नायक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी?	**''प्रमाणित''**

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

11. इस प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति तथा साक्ष्य की विवेचना के पूर्व मैं माननीय उच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत का उल्लेख करना उचित समझता हूं जिसमें अपराध विधि शास्त्र के तीन प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। माननीय न्यायालय ने

<u>थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे.–442</u> में प्रतिपादित किया है कि :–

(क) अभियोजन को आरोपी के विरूद्ध अपने मामले को संदेहातीत रूप में प्रमाणित करना चाहिए।

(ख) अभियोजन को अपने पैर पर खड़े होकर अपने मामले को प्रमाणित करना चाहिए।

(ग) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो जो विचार आरोपी के पक्ष का हो, उसे विचार में लेना चाहिए।

<u>''अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 विवेचना''</u>

12. **अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 में वर्णित अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रमाणित करने होंगे –**

{क} क्या श्री बिहारी नायक की मृत्यु **<u>''मानव वधीय''</u>** स्वरूप की थी?

{ख} यदि हां, तो क्या आरोपी अमरदीप द्वारा ही मृतक श्री बिहारी नायक का **<u>''मानववध''</u>** कारित किया गया एवं वह हत्या की श्रेणी में आता है?

13. उक्त दोनों उप–अवधारणीय बिन्दु एक ही तथ्य से सह–संबंधित होने के कारण उक्त सभी का विचारण एक साथ ही किया जा रहा है।

14. **सर्वप्रथम यह देखा जा रहा है कि क्या श्री बिहारी नायक की मृत्यु <u>''मानव वधीय''</u> स्वरूप की थी?**

15. उक्त के संबंध में साक्षी श्री सुनील कुमार शर्मा (अ0सा0–4) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 23–11–2019 को आर0पी0एफ0 चौकी उमरिया में आरक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को उमरिया पोस्ट इन्चार्ज प्रभारी उपनिरीक्षक श्री के0डी0 प्रसाद थे। कन्ट्रोल के माध्यम से श्री के0डी0 प्रसाद को सूचना प्राप्त हुई कि जबलपुर–अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन से किसी लड़के ने एक अन्य लड़के को धक्का दे दिया है, जाकर लोकेशन देंवे तब वह के0डी0 प्रसाद के साथ उस लड़के को ढूढने गया था। उमरिया और करकेली स्टेशन के बीच किमी0 972/28 पर एक लड़का पड़ा हुआ दिखा था जिसकी उम्र लगभग 20–21 वर्ष रही होगी। वह बेहोश था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसने उसकी सूचना उमरिया स्टेशन मास्टर को दी थी। उसके बाद सिटी कोतवाली उमरिया से पुलिस बल आया था और उस लड़के की बॉडी को लेकर चले गये थे।

16. साक्षी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव (अ0सा0–15) ने अपने न्यायालयीन बयान

में बताया है कि दिनांक 23–11–2019 को वे रेलवे स्टेशन उमरिया में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। उक्त दिनांक को कॉस्टेबल रेलवे पुलिस श्री सुनील शर्मा के माध्यम से यह सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी उमरिया–करकेली के मध्य किमी0 972/28 सोनू ढाबा के आगे डाउन लाईन के नजदीक पड़ी है जिसकी उम्र 25 से 20 वर्ष के बीच है। उक्त सूचना को प्र0पी0–15 के माध्यम से थाना प्रभारी उमरिया को प्रेषित किया था।

17. साक्षी श्री नीतेश सिंह (अ0सा0–14) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 24–11–2019 को थाना उमरिया में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता मुरारी नायक ने रात्रि 2.21 बजे थाना में उपस्थित होकर सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई बिहारी नायक को उसने रेलवे स्टेशन उमरिया में जबलपुर–अंबिकापुर ट्रेन में शहडोल जाने के लिए छोड़कर आया था। शाम 6.30 बजे गिरी नायक ने उसे फोन करके बताया कि बिहारी नायक नहीं पहुंचा है और फोन भी नहीं उठा रहा है तब अपने रिश्तेदारों से फोन पर पूछताछ किया तो पता नहीं चला। उसी समय रेलवे स्टेशन उमरिया से पता चला कि एच0पी0 गैस एजेंसी के सामने रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति 20 से 25 साल का मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर वह अपने दोस्त हर्षित डेविड के साथ मौके पर जाकर देखा और पहचाना तो उसके बड़े भाई बिहारी नायक रेलवे पटरी के बाहर मृत अवस्था में पड़े हुये थे। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली उमरिया में मर्ग क्रमांक 96/19 प्र0पी0–5 दर्ज करवाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. श्रीमती सारिका शर्मा (अ0सा0–16) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वे दिनांक 24–11–2019 को कोतवाली उमरिया में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थीं। उन्हें थाना कोतवाली उमरिया में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 44/19 जांच हेतु प्राप्त हुआ था तब उक्त दिनांक को जिला चिकित्सालय उमरिया के मरचुरी में जाकर मृतक बिहारी नायक के शव का पंचनामा बनाने हेतु पंचान मुरारी नायक, गिरधारी नायक, हेमा नायक, भीमसेन नायक और कान्हा द्विवेदी को प्र0पी0–4 की नोटिस जारी किया था तथा उक्त साक्षियों के उपस्थित होने पर मृतक के शव का निरीक्षण किया था जिसमें पाया था कि मृतक के सिर के पीछे तरफ गहरी चोट थी जिससे खून निकल रहा था। माथे में गरी खून आलूदा चोट, पीछे तरफ गर्दन में खून आलूदा चोट, बायीं आंख के भौंह के उपर व दाहिनी आंख के बगल में खून आलूदा चोट, बायीं आंख की भौंह कटी हुई, नाक के उपर खरोंचदार चोट थी तथा नाक से खून निकल रहा था, दाहिने हाथ की कलाई में छीलनदार चोट थी, बायें हाथ की कलाई के उपर की ओर चोट थी, दाहिने तरफ के कूल्हे में छीलनदार चोट थी, दोनों घुटनों एवं पैर में छीलनदार चोट थी तथा बायें पैर की पिडली में भी छीलनदार चोट थी। तत्पश्चात् मृतक के शव का निरीक्षण कर

प्र0पी0–3 का नक्शा शव पंचायतनामा तैयार किया था। मृतक के शव का पी0एम0 कराने के लिए प्र0पी0–16 का शव परीक्षण आवेदन पत्र भरकर जिला अस्पताल उमरिया आरक्षक श्री सरमन प्रसाद (अ0सा0–12) के साथ भेजा गया था।

19. डॉक्टर श्री वरूण विश्वास (अ0सा0–19) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 24–11–2019 को जिला अस्पताल उमरिया में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना कोतवाली उमरिया से आरक्षक क्रमांक 143 सरमन सेन द्वारा मृतक बिहारी नायक पिता श्री हेमा नायक के शव का पी0एम0 कराने के लिए उनके समक्ष लाया गया था तब उनके व्दारा मृतक के शव का पी0एम0 किया गया था। संबंधित शव की बाह्य एवं आंतरिक स्थिति निम्नानुसार पायी गयी थी।

<u>बाह्य परीक्षण –</u> शव का बाह्य परीक्षण करने पर पाया था कि उसके पूरे शरीर में अकड़न मौजूद थी। उसकी बायीं आंख के उपर एक लेसरेटेड चोट थी जिसका आकार 1.50X0.50 सेमी0 था। मृतक की नाक के उपरी भाग में एक लेसरेटेड चोट थी जिसका आकार 7X0.5X0.7 सेमी0 था बायें तरफ आंख के बगल में एक लेसरेटेड चोट थी जिसका आकार 1.2X0.5X0.7 सेमी0 था, मृतक के दोनों नाक के छिद्र से एवं दोनों कान से खून निकला हुआ था, मृतक के सिर के दाहिने तरफ पैराइटल रीजन पर एक लेसरेटेड चोट थी जिसका आकार 2.5X0.5X1.0 सेमी0 था तथा मृतक के दाहिने कूल्हे पर एब्रेजन चोट थी जिसका आकार 2.5X2.0 सेमी0 था।

<u>आंतरिक परीक्षण –</u> शव का आंतरिक परीक्षण करने पर पाया था कि मृतक का शरीर सामान्य प्रकृति का था। मृतक की खोपड़ी, स्पाईलन काड, ब्रेन, मेरूरज्जू सामान्य स्थिति में थे, दोनों फेफड़े पेल थे, हृदय एवं वृहद वाहिका खाली थी, पेट में अधपचा खाना था, छोटी आंत में अधपचा खाना था, बड़ी आंत में मल एवं गैस थी, यकृत, लीवर, स्पिलीन, किडनी पेल थी, उसके मूत्राशय में बचा हुआ पेशाब था, मृतक की भीतरी एवं बाहरी जननेन्द्रियां सामान्य थीं।

20. आगे साक्षी ने बताया है कि उनके मतानुसार मृत्यु का तरीका सिन्कोप जब शरीर में खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो आदमी धीरे–धीरे बेहोश हो जाता है और मर जाता है तथा मृत्यु का कारण हाइकोवैल्यूमिक शॉक था जो कि अत्यधिक रक्त श्राव एवं आंतरिक अंगों की चोट के कारण था तथा मृतक की मृत्यु शव परीक्षण के 12 घंटे के अदंर हुयी थी। उनके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट प्र0पी0–18 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि प्र0पी0–18 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि परीक्षण के कितने घंटे के अंदर मृतक की मृत्यु हुई थी। स्वतः कथन किया है कि चूंकि शरीर में अकड़न मौजूद थी, इसीलिए उन्होंने उक्त समय को बताया है। यह सही है कि

रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति के बावत् उल्लेख नहीं किया है। इस बात को भी स्वीकार किया है कि यह सही है कि अगर समय से मृतक को इलाज मिल जाता तो उसकी प्राणरक्षा हो सकती थी। मृतक के शरीर पर आई चोटें गिरने से आ सकती हैं। ट्रेन से गिरने से भी इस तरह की चोटें आ सकती हैं।

21. इस प्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से जो चुनौतियां प्रतिपरीक्षण में दी गयी हैं उससे स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटें ट्रेन से गिरने से आ सकती हैं। ऐसा अभियोजन का भी प्रकरण है कि मृतक को ट्रेन से धक्का देकर गिराया गया था जिससे उसकी मृत्यु हुई है। यद्यपि चिकित्सक द्वारा मृत्यु की प्रकृति के बावत् कोई कथन नहीं किया गया है, लेकिन मृतक के शरीर पर जिस तरह की चोटें पायी गयी हैं तथा विशेषज्ञ साक्षी व्दारा प्रतिपरीक्षण के दौरान की गयी स्वीकारोक्ति कि मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटें ट्रेन से गिरने से आ सकती हैं, से मात्र यही प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति **मानव वधीय** स्वरूप की थी। इसके संबंध में आगे विस्तृत रूप से विवेचना की जावेगी।

22. **अब यह देख लिया जावे कि क्या उक्त मानव वध आरोपी के व्दारा ही कारित किया गया?**

23. उक्त के संबंध में साक्षी श्री मुरारी नायक (अ0सा0–3) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित आरोपी को पहचानता है। यही अमरदीप मण्डल है। मृतक बिहारी नायक उसके बड़े भाई थे। साक्षी को प्रकरण में संलग्न आर्टिकल–ए1 की फोटो को दिखाये जाने पर उसका कहना है कि यही उसके बड़े भाई हैं जिनकी ट्रेन से धक्का देने के कारण मृत्यु हुई थी। आगे साक्षी कहता है कि दिनांक 23–11–2019 को शाम के लगभग 5.00 बजे उसने अपने बड़े भाई बिहारी नायक को जनरल डिब्बे पर चढ़ाया था। आधे घंटे बाद उसने अपने भाई बिहारी को कई बार फोन लगाया तो फोन पर घंटी बज रही थी, लेकिन वे फोन उठा नहीं रहे थे तब उसने अपने बड़े भाई गिरधारी नायक और पिताजी को फोन लगाकर बताया कि बिहारी को ट्रेन पर छोड़ा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा है तब उसके बड़े भाई गिरधारी नायक के कहने पर उमरिया थाना जाकर शिकायत किया था। आगे साक्षी ने बताया है कि अपने मोबाईल पर बिहारी के मोबाईल की लोकेशन चेक किया तो पता चला कि बिहारी नायक के मोबाईल की लोकेशन उमरिया से कुछ आगे एच0पी0 गैस एजेंसी के सामने है तब मौके पर पहुंचा तो वहां पुलिस वाले खड़े थे और उसके भाई पटरी के पास पड़े हुये थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाद में पुलिस वाले उसे बिहारी नायक के शव का पंचनामा बनाने के लिए प्र0पी0–4 की नोटिस दिये थे और उसके भाई के शव का निरीक्षण कर शव पंचायतनामा प्र0पी0–3 तैयार किया था। पुलिस

ने उसके भाई बिहारी नायक की मृत्यु के संबंध में प्र0पी0–5 का मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया था तथा पुलिस ने उसकी उपस्थिति में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0–6 तैयार किया था।

24. अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि वह अपने भाई बिहारी नायक को छोड़ने रेलवे स्टेशन नहीं गया था। यह कहना भी गलत है कि मृतक को उसने जनरल डिब्बे में नहीं बैठाया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–7 में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि मृतक बिहारी नायक स्वयं की गलती एवं लापरवाही से मोबाईल पर बात करते हुये ट्रेन के गेट के पास खड़े होने से गिर गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके भाई को धक्का देने वाली बात पुलिस के बताये अनुसार बता रहा है। इसी पैरा में साक्षी आगे कथन करता है कि उसके भाई का एक्सीडेन्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसे धक्का देकर गिराया गया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथनानुसार घटना दिनांक को उसने अपने भाई मृतक श्री बिहारी नायक को जबलपुर–अंबिकापुर ट्रेन के जनरल डिब्बे पर शहडोल जाने के लिए बैठाया था। उक्त तथ्य का समर्थन प्रकरण में प्रस्तुत आर्टिकल–ए2 की रेल टिकिट से भी होता है जिसे अन्वेषक साक्षी श्रीमती सारिका शर्मा (अ0सा0–16) व्दारा मृतक की पहनी हुई जैकेट की तलाशी लेने पर प्राप्त हुआ था और उसे प्र0पी0–10 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया था। उक्त जप्तशुदा आर्टिकल–ए2 का टिकट दिनांक 23–11–2019 की तारीख का है जो उमरिया से शहडोल तक की यात्रा का जारी किया गया है। उक्त तथ्य का समर्थन साक्षी श्री कान्हा द्विवेदी (अ0सा0–7) ने अपने भी अपने न्यायालयीन बयान में किया है और बताया है कि उसके सामने पुलिस वालों ने मृतक बिहारी नायक के जैकेट के जेब से एक रेलवे का टिकट जप्त किया था। इस तथ्य का समर्थन श्री सरमन प्रसाद (अ0सा0–12) प्रधान आरक्षक ने भी अपने न्यायालयीन बयान में किया है। इस प्रकार साक्षी मुरारी नायक (अ0सा0–3), श्री कान्हा द्विवेदी (अ0सा0–7) एवं श्री सरमन प्रसाद (अ0सा0–12) के कथन एवं प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल–ए2 की रेल यात्रा टिकट से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक 23–11–2019 को मृतक बिहारी नायक संबंधित ट्रेन में यात्रा कर रहा था।

25. साक्षी श्री गिरधारी नायक (अ0सा0–18) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित आरोपी अमरदीप मण्डल को जानता है। मृतक बिहारी नायक उसके सगे भाई थे। दिनांक 23–11–2019 को शाम के पांच–साढ़े पांच बजे उसके छोटे भाई मुरारी नायक का टेलीफोन आया था कि भईया को टिकिट कटाकर दे दिया है और ट्रेन में उमरिया स्टेशन में बैठा दिया है, वह शाम को शहडोल

पहुंच जायेंगे। फिर शाम को सात–साढ़े सात बजे बिहारी नायक को टेलीफोन लगाया तो टेलीफोन लग तो रहा था, लेकिन उसका भाई उठा नहीं रहा था तब वह जी0आर0पी0 शहडोल में लोगों से अपने भाई के बारे में बताया था। आधे घंटे बाद उसे पता चला कि उमरिया से एक–दो किलोमीटर आगे गैस एजेंसी और हनुमान मंदिर के पास किसी व्यक्ति ने उसके भाई को धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया है और उनका शव वहीं पड़ा है। आगे साक्षी ने बताया है कि उसे पता चला था कि जिस व्यक्ति ने उसके भाई को ट्रेन से धक्का दिया था उसको ट्रेन वाले लोगों ने दो–चार थप्पड़ मारा था और जी0आर0पी0 शहडोल में उसे सुपुर्द कर दिया है। उसने आरोपी को जी0आर0पी0 के लॉकअप में देखा था वह अमरदीप मण्डल ही था, लेकिन प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपनी आंख से अपने भाई को आरोपी व्दारा ट्रेन से धक्का मारते और गिराते हुये नहीं देखा था। उसने जो आज घटना के बारे में बताया है वह जी0आर0पी0 वालों के एवं आकाश गुप्ता के बताये अनुसार बताया है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है और सुनी–सुनाई बात के आधार पर घटना की बात बता रहा है।

26. श्री कान्हा द्विवेदी (अ0सा0–7) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी अमरदीप मण्डल को नहीं जानता। मृतक बिहारी नायक को जानता है। बिहारी नायक उसके दोस्त गिरधारी नायक का छोटा भाई था। दिनांक 24–11–2019 की सुबह 5.30–6.00 बजे गिरधारी नायक उसके घर में आया और बताया कि बिहारी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण पूछने पर उसने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बिहारी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। आगे साक्षी कहता है कि गिरधारी ने उसे बताया था कि चंदिया गांव के अरविन्द परिहार और आकाश गुप्ता मृतक बिहारी नायक के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अमरदीप मण्डल को देखा कि उन्होंने बिहारी नायक को चलती ट्रेन से धक्का दिया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि वह घटना की बात गिरधारी के बताये अनुसार बता रहा है। यह सही है कि उसने अमरदीप मण्डल को अपनी आंख से धक्का देते हुये नहीं देखा था और सुनी–सुनायी बात बता रहा है। इस प्रकार यह साक्षी भी अनुश्रुत साक्षी है तथा सुनी–सुनायी बात के आधार पर कथन कर रहा है।

27. श्री अरविन्द सिंह परिहार (अ0सा0–1) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित आरोपी ही अमरदीप मण्डल है। वह मृतक बिहारीलाल नायक को नहीं पहचानता है। घटना दिनांक 23–11–2019 की है। उक्त दिनांक को वह जबलपुर–अंबिकापुर ट्रेन से उमरिया से बिजुरी के लिए यात्रा कर रहा

था। यात्रा के दौरान शाम के लगभग 5.30 बजे जनरल बोगी पर एक बर्थ पर लेटा हुआ था। उस समय कुछ देर पहले ही ट्रेन उमरिया पर रूकी थी। अचानक ट्रेन पर गेट के पास ही चीखने–चिल्लाने और हल्ला होने की आवाज सुनाई दी। वह गेट के पास की सीट पर ही लेटा हुआ था। भीड़ से आवाज आ रही थी कि किसी ने किसी व्यक्ति को ट्रेन से गेट के बाहर धक्का दे दिया है। ट्रेन में उपस्थित लोगों ने और उसने भी चैन खींचा था। ट्रेन काफी आगे जाकर रूकी थी। वहां पर लोगों ने बताया कि स्क्रीन पर दर्शित आरोपी, अर्थात् आरोपी अमरदीप मण्डल ने एक व्यक्ति को ट्रेन से धक्का देकर बाहर गिरा दिया है। ट्रेन के यात्रियों ने आरोपी को पकड़ लिया था। लोगों ने बताया कि जिस व्यक्ति को धक्का दिया गया वह गेट के पास बैठा हुआ था और फोन पर बात कर रहा था उसी समय आरोपी गेट के पास इधर से उधर टहल रहा था। लोगों ने बताया कि आरोपी कटनी से ही गेट के पास इधर से उधर टहल रहा था। आगे साक्षी बताता है कि उन लोगों ने आरोपी को ट्रेन में पकड़कर रखा था और शहडोल स्टेशन आने पर आरोपी को जी0आर0पी0 पुलिस के हवाले किया था। पुलिस वाले प्लेटफार्म पर आ गये थे।

28. इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं जिसमें साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि उसने आरोपी के द्वारा मृतक को ट्रेन से धक्का देते समय देखा था। साक्षी का कहना है कि घटना के बाद जब वे लोग आरोपी को पकड़े हुये थे तब पूछताछ के दौरान उसने उन्हें बताया था कि मृतक गेट पर बैठा हुआ था और उसने उससे कहा था कि थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। आरोपी ने यह भी बताया था कि इसी बात को लेकर मृतक और आरोपी के बीच विवाद होने लगा था। वहां पर उपस्थित यात्रियों ने यह बताया था कि मृतक गेट पर बैठकर फोन पर बात कर रहा था उसी समय आरोपी ने अचानक उसे धक्का मारकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। साक्षी के द्वारा जिला जेल शहडोल में नायब तहसीलदार श्री अभयानंद शर्मा व्दारा आरोपी की पहचान कार्यवाही करवाये जाने पर आरोपी के सिर पर हाथ रखकर उसकी पहचान किया जाना बतलाया गया है तथा यह भी बताया है कि उसने आरोपी के सिर पर हाथ रखकर पहचान कर बताया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने ट्रेन में मृतक को धक्का दिया था। शिनाख्तगी कार्यवाही प्र0पी0–1 के ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बतलाया है।

29. इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में और तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी इस बात पर अडिग रहा है कि घटना दिनांक समय पर वह उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था तथा गेट के पास बर्थ पर लेटा हुआ था, लेकिन आरोपी द्वारा मृतक को धक्का देते हुये स्वयं नहीं

देखा, लेकिन घटना हो जाने के बाद अन्य लोगों के व्दारा आरोपी को पकड़े जाने पर उसे पता चला था कि इसी व्यक्ति ने मृतक को ट्रेन से धक्का दिया था। फिर इस साक्षी के द्वारा एवं अन्य लोगों के व्दारा आरोपी को ट्रेन में ही पकड़ लिया गया था और बाद में शहडोल स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इस प्रकार यह साक्षी मौके का तो साक्षी है, लेकिन आरोपी व्दारा मृतक को धक्का देते हुये नहीं देखने का कथन करता है, लेकिन घटना के तत्काल बाद घटना की सारी बातें इस साक्षी के व्दारा अपने बयान में बतायी गयी हैं।

30. अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में साक्षी ने इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि मृतक मोबाईल पर बात करते हुये स्वयं से गेट से बाहर गिर गया था। इस बात को भी अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि आरोपी ने मृतक को धक्का नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–12 में इस बात को भी अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि उसने पुलिस के बताये अनुसार आरोपी को पहचाना था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–13 में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि आरोपी ने मृतक को कोई धक्का नहीं दिया था। यह कहना भी गलत है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में विस्तृत रूप से चुनौतियां दी गई हैं, लेकिन यह साक्षी अपने द्वारा मुख्य परीक्षण में बतायी गयी बातों पर अडिग रहा है। इस साक्षी का कथन प्रतिपरीक्षण में कहीं खंडित नहीं हुआ है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन का समग्र रूप से अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रमाणित है कि यह साक्षी घटना के समय मौके पर ही मौजूद था और घटना के तत्काल बाद इसके व्दारा आरोपी को पकड़ लिया गया था। यह तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी के द्वारा ही मृतक बिहारी नायक को चलती ट्रेन से धक्का देकर गिराया गया था।

31. घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित दूसरे साक्षी श्री आकाश गुप्ता (अ0सा0–2) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित आरोपी को वह पहचानता है। यह वही व्यक्ति है जिसने ट्रेन में एक व्यक्ति को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। जिस व्यक्ति को धक्का देकर गिराया था उसका नाम बिहारीलाल नायक था। प्रकरण में संलग्न मृतक की फोटो आर्टिकल–ए1 साक्षी को दिखाये जाने पर उसका कहना है कि यह वही व्यक्ति है जिसे ट्रेन के दरवाजे से गिराये जाने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे साक्षी कहता है कि दिनांक 23–11–2019 की घटना है। उक्त दिनांक को वह कटनी साउथ से अंबिकापुर–जबलपुर ट्रेन में चढ़कर शहडोल आ रहा था। ट्रेन उमरिया पहुंची और उमरिया से चलने के दो–तीन किलोमीटर आगे बढ़ी, उस समय ट्रेन से गिरने वाला व्यक्ति गेट पर बैठा हुआ था तथा वह उस

समय इंजन के पीछे लगी जनरल बोगी में यात्रा कर रहा था। आरोपी अमरदीप मण्डल गेट के पास ही खड़ा हुआ था। अचानक आरोपी ने गेट पर बैठे हुये व्यक्ति को धक्का दे दिया जिससे गेट पर बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर गया। वह उस समय गेट के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसके एक साथी ने ट्रेन की चैन खींचा था जिससे ट्रेन कुछ देर के लिए रूकी थी। घटना के समय ट्रेन की स्पीड काफी थी।

32. आगे साक्षी बताता है कि एक परिहार एवं एक आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति तथा उसने मिलकर आरोपी को पकड़ा था, क्योंकि वह भागने का प्रयास कर रहा था। उन लोगों ने आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ किया था तो उसने अपना नाम अमरदीप होना बताया था और बताया था कि वह राजनगर बिहार का रहने वाला है। जब ट्रेन शहडोल पहुंची तब भी आरोपी वहां से भागने का प्रयास किया था तब उसे शहडोल प्लेटफार्म में पुलिस के सुपुर्द किया था। आगे साक्षी कहता है कि पुलिस वालों ने उसे मृतक की फोटो दिखायी थी। मृतक की फोटो पेपर में भी छपी थी जिसे देखकर पहचान लिया था। कुछ दिन बाद जिला जेल शहडोल में न्यायाधीश महोदय ने उससे आरोपी अमरदीप की पहचान करवायी थी। सात–आठ अन्य लोगों के साथ मिलाकर आरोपी को उसे दिखाया गया था तब उसने आरोपी को पहचाना था। पहचान कार्यवाही के दौरान शिनाख्तगी पत्रक तैयार किया गया था जो प्र0पी0–2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

33. अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में साक्षी ने इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को वह ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहा था। इस बात को स्वीकार किया है कि यह सही है कि घटना के समय जनरल बोगी में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। यह भी सही है कि गेट के पास नहीं बैठा था। साक्षी स्वतः कथन करता है कि गेट की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, इसलिए उसे बोगी का गेट दिखायी दे रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में इस बात को अस्वीकार किया है कि आवाज आने पर उसे घटना की जानकारी हुई थी। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि उसने स्वयं घटना देखी थी। यह सही है कि घटना होने के बाद अपनी सीट से उठकर गेट पर गया था। इस बात को इंकार किया है कि यह कहना गलत है कि उसने मृतक को गिरते हुये नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–9 में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से साक्षी का विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है, लेकिन यह साक्षी अपने द्वारा मुख्य परीक्षण में बतायी गयी बातों पर प्रतिपरीक्षण में कहीं भी खंडित नहीं हुआ है। इस साक्षी के कथन में न तो कोई विरोधाभाष है और न ही कोई लोप दर्शित होता है। अतः इस साक्षी के कथन का समग्र रूप से अवलोकन करने पर यह

दर्शित होता है कि यह साक्षी घटना के समय मौके पर उपस्थित था और इसके द्वारा पूरी घटना घटित होते हुये स्वयं देखी गयी है और इसी के सामने आरोपी ने मृतक को ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिराया था। यह साक्षी मौके का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और इस साक्षी के कथन से घटना का पूर्णतः समर्थन होना पाया जाता है। यह साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय पाया जाता है। अतः इस साक्षी के कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

34. श्री शिवा सिंह (अ0सा0–5) ने अपने न्यायालयीन बयान में ताया है कि दिनांक 25–11–2019 को वह शहडोल रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा था। उक्त दिनांक को आरोपी अमरदीप मण्डल को उसके समक्ष पुलिस व्दारा गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था जो प्र0पी0–8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के गिरफ्तारी का समर्थन श्री गोरे सिंह (अ0सा0–9) ने अपने न्यायालयीन बयान में किया है। इस प्रकार इन साक्षियों के कथन से आरोपी की गिरफ्तारी प्रमाणित पायी जाती है।

35. श्री लल्लू पाण्डेय (अ0सा0–6) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 01–12–2019 को वे जी0आर0पी0 शहडोल में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को जिला अस्पताल उमरिया से मृतक बिहारी नायक के कपड़े पैंट, शर्ट तथा अस्पताल का सील नमूना सीलबंद हालत में अस्पताल से लाकर जी0आर0पी0 थाना शहडोल में पेश किया था जिसे थाना प्रभारी श्री एल0पी0 कश्यप द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–9 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी श्री विमलेश कुमार दुबे (अ0सा0–17) ने अपने न्यायालयीन बयान में प्र0पी0–9 के जप्ती पत्र अनुसार मृतक के कपड़ों की जप्ती किया जाना प्रमाणित किया है। इस प्रकार इन साक्षियों के कथन से मृतक के कपडों की जप्ती किये जाने का तथ्य प्रमाणित होता है।

36. श्री आशीष आर्य (अ0सा0–8) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 25–11–2019 को जी0आर0पी0 शहडोल में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उमरिया से आरक्षक अरविन्द सेन ने जी0आर0पी0 थाना शहडोल में उपस्थित होकर एक सीलबंद पैकेट में खून आलूदा एवं सादी मिट्टी तथा रेलवे टिकट एवं सील नमूना लाकर थाना प्रभारी श्री एल0पी0 कश्यप के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे उनके द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–11 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। श्री अरविन्द सेन (अ0सा0–11) एवं श्री रामलोटन लोनी, प्रधान आरक्षक (अ0सा0–13) ने भी मुताबिक जप्ती पत्रक प्र0पी0–11 के अनुसार संपत्ति जप्त किया जाना अपने–अपने न्यायालयीन बयान में बतलाया है। इस प्रकार इन साक्षियों के व्दारा प्र0पी0–11 के जप्ती पत्रक में दर्शाये अनुसार संपत्ति को जप्त किया जाना

प्रमाणित पाया जाता है।

37. जनाब एस0 खान (अ0सा0–10) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 20–11–2019 को कार्यालय दक्षिण–पूर्व मध्य रेलवे उमरिया में पी0 डब्ल्यू0आई0 के पद पर पदस्थ था। उसे थाना प्रभारी रेल पुलिस थाना शहडोल का पत्र क्रमांक 1807/19 दिनांक 29–11–2019 अपराध क्रमांक 146/19 के मामले में घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करने के संबंध में प्राप्त हुआ था जिस पर घटना स्थल पर जाकर नजरी नक्शा तैयार किया था जो प्र0पी0–12 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया जाना प्रमाणित किया है।

38. श्रीमती सारिका शर्मा (अ0सा0–16) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वे दिनांक 24–11–2019 को कोतवाली उमरिया में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थीं। उनके द्वारा घटना स्थल रेलवे पटरी के किनारे करकेली और उमरिया के बीच में गैस गोदाम के सामने साक्षी कान्हा द्विवेदी एवं सुनील शर्मा की उपस्थिति में घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया था जो प्र0पी0–17 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने घटना स्थल खून आलूदा और सादी मिट्टी 50–50 ग्राम को जप्त कर अलग–अलग सीलबंद कर उसे प्र0पी0–7 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया जाना बतलाया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि आर्टिकल–ए2 उसके व्दारा जप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने व्दारा की गई विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

39. श्री एल0पी0 कश्यप (अ0सा0–21) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 25–11–2019 को वे जी0आर0पी0 शहडोल में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। उनके द्वारा मर्ग जांच उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना, खून आलूदा एवं सादी मिट्टी को प्र0पी0–11 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया जाना, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–8 तैयार किया जाना, मृतक के कपड़ों की जप्ती प्र0पी0–9 के अनुसार किया जाना बतलाया है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट के अनुसार एफ0एस0एल0 सागर परीक्षण हेतु भेजे जाने का कथन किया है जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0–23 है जो अभिलेख पर संलग्न है। इस प्रकार यह साक्षी मामले का अन्वेषणकर्ता साक्षी है और इसके द्वारा अपने द्वारा की गई कार्यवाही को प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी का कथन मात्र औपचारिक है। साक्षी श्री शंकर सहाय त्रिपाठी (अ0सा0–20) ने अपने न्यायालय बयान में जप्तशुदा संपत्ति को एफ0एस0एल0 सागर में जमा किया जाना बतलाया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में इस बात को स्वीकार

किया है कि यह सही है कि सील्ड वस्तुओं को खोलकर नहीं देखा था कि उसमें क्या सीलबंद है? इस प्रकार इस साक्षी के कथन से जप्तशुदा वस्तुओं को एफ0एस0एल0 सागर में परीक्षण हेतु ले जाया जाना प्रमाणित होता है।

40. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये जब सम्पूर्ण साक्षियों के कथन का समग्र रूप से अवलोकन किया जाता है तो यह पाया जाता है कि आरोपी के द्वारा ही चलती ट्रेन से श्री बिहारीलाल नायक को धक्का देकर नीचे गिराया गया और उसे कारित चोटों के कारण ही उसकी मृत्यु हुई।

41. **अतः अब यह देख लिया जावे कि क्या आरोपी के द्वारा कारित संबंधित <u>''मानव वध''</u> हत्या की श्रेणी में आता है?**

42. उक्त के संबंध में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि घटना के समय अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी व्दारा मृतक को ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिराने की बात बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में आरोपी का आशय मृतक की हत्या करने का नहीं था। अतः मामला भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग–2 में जाता है, उसे धारा 302 भा0दं0सं0 के लिए दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट नहीं किया जा सकता है। उक्त बात का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया है।

43. उक्त तर्क के दृष्टिकोंण से मामले का अवलोकन किया गया।

44. जिस प्रकार की पी0एम0 रिपोर्ट में चोटें मृतक के शरीर पर पायी गयी हैं, तथा इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी श्री अरविन्द सिंह परिहार (अ0सा0–1) एवं आकाश गुप्ता (अ0सा0–2) जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और घटना के समय मौके पर उपस्थित थे, उनके व्दारा अपने कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा ही मृतक को धक्का दिये जाने का कथन किया गया है। साक्षी श्री आकाश गुप्ता ने अपने बयान के पैरा–2 में स्पष्ट रूप से बताया है कि आरोपी गेट के पास ही खड़ा था और अचानक आरोपी ने गेट पर बैठे हुये व्यक्ति को धक्का दे दिया जिससे गेट पर बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेने से नीचे गिर गया। इसके अतिरिक्त साक्षी श्री अरविन्द सिंह परिहार ने अपने बयान के पैरा–4 में बताया है कि पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि मृतक गेट पर बैठा हुआ था उसने उसे कहा था कि थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। आरोपी ने यह भी बताया था कि इसी बात को लेकर मृतक और उसके बीच विवाद होने लगा था। इससे यह प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर आरोपी का आशय मृतक को ट्रेन से धक्का देकर उसकी हत्या कारित करना ही था। ऐसी स्थिति में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क गुणता विहीन होने से निरस्त किया जाता है और यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी के द्वारा ही घटना के समय मृतक श्री बिहारीलाल नायक को ट्रेन से धक्का देकर कारित की गयी चोटों से उसकी मृत्यु हुई तथा वह ***<u>''हत्यात्मक''</u>***

प्रकृति की थी।

45. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विद्वतापूर्ण तर्क में व्यक्त किया है कि अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपी दोषमुक्ति का पात्र है।

46. उक्त बात का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया है।

47. उक्त तर्क के दृष्टिकोंण से मामले का अवलोकन किया गया।

48. इस प्रकरण के युक्तियुक्त संदेह से परे तथ्य के बावत् साक्ष्य का अवलोकन करने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि उक्त के बावत् माननीय वरिष्ठ न्यायालयों का क्या अभिमत है –

49. **इन्दर सिंह तथा अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 (1) उम0नि0प0 1443** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि दाण्डिक विधि विनिश्चायक सबूत की अपेक्षा नहीं करती है, वह केवल युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की अपेक्षा करती है। निःसंदेह दाण्डिक मामलों में युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत पेश किया जाना होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह परिपूर्ण हो। यदि कोई मामला पूर्णरूपेण साबित कर दिया जाता है तो यह दलील दी जाती है कि यह कृत्रिम है। यदि किसी मामले में कुछ दोष रह गये हैं, जो मानव के त्रुटि उन्मुक होने के कारण अनिवार्य हैं, तो यह दलील दी जाती है कि यह बहुत अपूर्ण है। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत **''मार्गदर्शक है न कि कोई जादू–टोना।''**

50. **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 1998 = 1989 (1) उम.नि.प. 977** में देश के शिखर न्यायालय ने व्यक्त किया है कि –

> **'' – – – न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वास्तविक सच्चाई का पता लगाये। न्यायाधीश मात्र इसलिए दाण्डिक विचारण में पीठासीन नहीं होता कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्डित न किया जाए, बल्कि वह इसलिए भी पीठासीन होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दोषी व्यक्ति दण्डित होने से न बच पाए। दोनों ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिनका न्यायाधीश को पालन करना होता है।''**

51. आपराधिक मामलों में सबूत की अपेक्षित मात्रा के संबंध में **''लार्ड डेनिंग''** के मत को यहां उद्धृत करना सुसंगत होगा। लार्ड डेनिंग ने **मिलर बनाम मिनिस्टर ऑफ पेंशन्स 1947 (2) ऑल इंग्लैण्ड रिपोर्टस 373** वाले मामले में आपराधिक मामलों में अपेक्षित सबूत की मात्रा पर विचार करते हुये यह मत व्यक्त किया कि –

''– – –वह मात्रा सुस्थापित है, यह आवश्यक नहीं है कि वह निश्चितता तक पहुंचे ही, किन्तु उसे अधिसंभाव्यता की उच्च मात्रा तक तो पहुंचना ही चाहिए। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत से संदेह की छाया से परे सबूत अभिप्रेत नहीं है। उस स्थिति में विधि समाज को संरक्षण प्रदान करने में असफल हो जाएगी, यदि उसमें न्याय के पक्ष से विचलन करने के लिए काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार किया जाता है। यदि साक्ष्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध इतना सशक्त है कि उसके पक्ष में केवल एक दूरस्थ संभावना ही शेष रहती है, जिससे ''निःसंदेह यह संभव है, किन्तु तनिक भी अधिसंभाव्य नहीं'' वाक्य का प्रयोग करके अस्वीकार किया जा सकता है, तो मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है।''

52. उक्त के बावत् **इकबाल मूसा पटेल विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 2011(2) एस0सी0सी0 198**, **बलवन्त बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1982 एम.पी. डब्ल्यू.एन.–2**, **अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 696**, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ए.के. एन्थनी ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 48**, **गुरूवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह तथा अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 209**, **शिवाजी राय व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2622**, **बर्के जोसफ बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 पैरा–12**, **आशीष बाथम बनाम म0प्र0 राज्य 2003 (1) एम.पी.एच.टी.–1 (एस.सी.)**, **थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 442**, **कलीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2773** एवं **जोगेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1974 क्रिमिनल लॉ जनरल 117** भी अवलोकनीय हैं।

53. जैसा कि उपर वर्णित है कि घटना के प्रत्यक्षक्षदर्शी साक्षी अरविन्द सिंह परिहार (अ0सा0–1) एवं श्री आकाश गुप्ता (अ0सा0–2) जो कि घटना दिनांक, समय पर घटना स्थल पर ही मौजूद थे तथा साक्षी श्री आकाश गुप्ता के व्दारा घटना घटित होते हुये अपनी आंख से देखा गया है तथा घटना के तत्काल बाद ही आरोपी को उनके व्दारा पकड़ भी लिया गया था तथा इनके द्वारा आरोपी की स्पष्ट पहचान, पहचान कार्यवाही के समय एवं न्यायालय में स्पष्ट रूप की घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में की गयी है। इसके अतिरिक्त मृतक के शरीर में जिस तरह की चोटें पायी गई हैं उनसे भी यही दर्शित होता है कि वे चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। अतः यह अभिलेख पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी अमरदीप मण्डल ने मृतक श्री बिहारीलाल नायक की

हत्या कारित करने के आशय से मृतक को चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिराया जिससे उसके शरीर में चोटें कारित हुई और उक्त कारित चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई। अतः निर्मित अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** स्वरूप में दिया जाता है।

54. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः मामले में निम्नानुसार आरोपी को दोषसिद्धी प्रदत्त की जाती है –

क्रं.	**नाम आरोपी/पिता का नाम**	**दोषमुक्ति**	**दोषसिद्धी**
1.	**अमरदीप मण्डल पिता श्री सुशील मण्डल**	**––निल––**	**धारा 302 भा.दं.सं.**

55. दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 235 (2) के अनुसार आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

दण्डादेश

56. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन के प्रतिनिधि को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उभयपक्ष ने उसके समर्थन में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया। आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी का पहला अपराध है, कम उम्र का नवयुवक है तथा गरीब मजदूर व्यक्ति है, इसलिए नर्म रूख अपनाया जावे, जबकि अभियोजन के प्रतिनिधि का कहना है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपी ने एक व्यक्ति को चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिराया गया है। अतः कोई रियायत न बरती जावे।

57. **स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम बालू 2005 (1) एस.सी.सी. 108** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अपर्याप्त दण्ड देने से समाज में न्यायालय के प्रति गलत संदेश जाता है। अपराध की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

58. **रमन बनाम फ्रांन्सिस 1988 कि.लॉ. जनरल 1359** में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दण्डादेश के संबंध में इस प्रकार का मत प्रकट किया है –

''अपर्याप्त दण्डादेश विधि व्यवस्था को हानि पहुंचा सकते हैं। विधि

को अपराधीकरण की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। डगमगाती दुर्बलता को घेरने वाली मत्तप्रायः भावनाएं छिपी नहीं रह सकती हैं। सुधारवादी भावनाएं किसी युक्तियुक्त दण्डादेश प्रणाली के किसी काम नहीं आ सकती हैं। गलत धारणाओं पर टिके उदारवादी दृष्टिकोंण का समर्थन नहीं किया जा सकता है।''

59. उक्त के बावत् **कर्नाटक राज्य बनाम कृष्ण उर्फ राजू ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 861 = 1987 कि.लॉ.ज. 779 = 1987 (1) एस.सी.सी. 538**, **पंजाब राज्य बनाम मानसिंह ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 172**, **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 (2) एस.सी.सी. 220** एवं **भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह 2004 (2) एस.सी.सी. 590** अवलोकनीय हैं।

60. चूंकि आरोपी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध हुआ है। आरोपी ने जिन परिस्थितियों में चलती ट्रेन से बिहारीलाल नायक को धक्का देकर नीचे गिराया गया है जिससे उसकी मृत्यु हुई, उस परिस्थिति में आरोपी रियायत का पात्र नहीं दिखता है। अतः आरोपी अमरदीप मण्डल को निम्नानुसार दंडित किया जाता है –

कं.	**नाम आरोपी/पिता का नाम**	**धारा**	**सजा**	**जुर्माना रूपये में**	**व्यतिकम में सजा**
1–	**अमरदीप मण्डल पिता श्री सुशील मण्डल**	**302 भा.दं.सं.**	**आजीवन कारावास**	**10,000/–रूपये (दसहजार रूपये)**	**दो साल का सश्रम कारावास**

61. प्रतिकर दिलाये जाने बावत् इससे संबंधित दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के उपबंधों का उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरवन सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1525** एवं **हरि सिंह तथा हरियाणा राज्य बनाम सुखवीर सिंह 1989 (2) उम.नि.प. 186 = 1988 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 150 (एस0सी0)** में से माननीय उच्चतम न्यायालय ने **'हरि सिंह'** वाले मामले में अपने निर्णय के चरण क्रमांक 10 एवं 11 में निम्नानुसार मताभिव्यक्ति की है –

''– – –इस शक्ति का आशय पीड़ित व्यक्ति को इस बावत्

आश्वस्त करना है कि दाण्डिक न्याय प्रणाली में उसकी उपेक्षा नहीं की गई है। यह ऐसा अध्युपाय है जिसमें अपराध के बारे में समुचित रीति से कार्यवाही की जाती है और साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति की अपराधी के साथ सुलह हो जाती है। किसी हद तक यह अपराधों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोंण है। वास्तव में यह हमारी दाण्डिक न्याय प्रणाली में एक प्रगतिशील कदम है। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि सभी न्यायालयों को इस शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बेहतर रूप में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।''

62. माननीय उच्चतम न्यायालय ने चरण–11 में इस प्रकार मताभिव्यक्ति की है –

''– – –किन्तु, प्रतिकर के रूप में संदाय युक्तियुक्त होना चाहिए। युक्तियुक्त क्या है ? यह हर एक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के लिए अपराध की प्रकृति, पीड़ित व्यक्ति के लिए दावे का औचित्य और संदाय करने की अभियुक्त की सामर्थ्य को ध्यान में लिया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो जब तक कि संदाय करने की उनकी सामर्थ्य पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है तो उन्हें समान रूप से संदाय करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा संदाय हर एक अभियुक्त के कार्यों पर निर्भर करते हुए भी भिन्न हो सकता है। प्रतिकर के संदाय के लिए युक्तियुक्त अवधि यदि आवश्यक हो तो किश्तों द्वारा की जा सकती है। न्यायालय व्यतिक्रम की दशा में दण्डादेश अधिरोपित करके आदेश को प्रवर्तित कर सकते हैं। ''

63. उक्त के बावत् **<u>मांगीलाल बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (2) एस.सी.सी. 447</u>** एवं **<u>के.ए. अब्बास बनाम सावू जासेफ तथा अन्य 2010 (6) एस.सी.सी. 230</u>** में भी वर्णित सिद्धांत अवलोकनीय हैं।

64. अर्थदंड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि **<u>दस हजार रूपये</u>** दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के प्राविधान के अनुसार **<u>मृतक के भाई श्री मुरारी नायक पिता श्री हेमा नायक निवासी ग्राम रोहनिया पोस्ट छतवई थाना सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0</u>** को प्रतिकर स्वरूप दिलायी जावे। यदि अपील की जाती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

65. आरोपी द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि को द0प्र0सं0, 1973 की धारा 428 के आलोक में मुजरा की जावे। अभिरक्षा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे। सजा वारंट तैयार किया जावे।

66. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्तियां निर्मूल्य होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावें। यदि अपील की गई तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

तद्नुसार निर्णय पारित।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार निर्णय टंकित किया गया।

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

VIRENDRA PRATAP SINGH

Digitally signed by VIRENDRA PRATAP SINGH
DN: cn=VIRENDRA PRATAP SINGH, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, st=Madhya Pradesh, c=IN

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

(पीठासीन न्यायाधीश–व्ही0पी0 सिंह)

S.T.N0.	41/2020
Filing NO.	695/2020
CNR NO.	MP18010008162020
Filing Date	25-02-2020

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जी0आर0पी0 शहडोल जिला शहडोल (म0प्र0)

——————————————————**अभियोजन**

विरूद्ध

अमरदीप मण्डल पिता श्री सुशील मण्डल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कुसमाल थाना राजनगर मधुबनी बिहार

——————————————————**अभियुक्त**

———————————————————————————————

क्र0	नाम आरोपी	निरोध की अवधि
	अमरदीप मण्डल पिता श्री सुशील मण्डल	गिरफ्तारी दिनांक 25.11.2019 से निर्णय दिनांक 20.02.2023 तक की अवधि।

उक्त प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षर
एवं मुद्रा से आज दिनांक
को जारी किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0